न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2017 **Gcms No.** 2017/00026

दायरा तिथि : 01.08.2017

निर्णय तिथिः 28-3-2022

वादीगण :–

1. श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह
2. श्री मोतीसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह जातिगण राजपुत
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1.श्री गणपतलाल चौधरी.............................. अभिभाषक वादीगण की ओर से

2. तहसीलदार, बाली .... पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 28-3-2022

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर ग्राम बीजापुर के गत् खसरा नंबर 695 से वने हाल खसरा नंबर 1570 रकवा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 1571 रकवा 0.76 हैक्टर, खसरा नंबर 1565 मेंसे रकवा 0.35 हैक्टर कुल रकवा 1.22 हैक्टर की दुरस्ती के जरिये वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादीगण द्वारा इसका आधार यह बतायां कि पुराने खसरा नंबर 695 का रकवा वडा था, पुराने राजस्व रेकर्ड में पुराने खसरा नंबर 695 रकवा 5 बीघा 18 विस्वा एवं खसरा नंबर 695 मी. रकवा 2 वीघा 2 विस्वा कुल रकवा 8 वीघा भूमि वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि रही है, जो वादी संख्या–02 के नाम दर्ज थी। जिसको पुश्तैनी व संयुक्त कब्जे काश्त की होने से दोनो वादीगण के नाम सैटलमेन्ट संवत् 2037 के दौरान् गत् खसरा नंबर 695 से वने हाल खसरा नंबर 1559 रकवा 0.54 हैक्टर, खसरा नंबर 1560 रकवा 0.24 हैक्टर खसरा नंबर 1561 रकवा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1562 रकवा 0.37 हैक्टर कुल रकवा 1.22 हैक्टर की **खातेदारी मौका स्थिति के विपरित राजस्व रेकर्ड में दर्ज** कर दी गई। जवकि इस भूमि में **मौके पर आबादी बसी हुई है,** तथा वादीगण के **पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि गत् खसरा नंबर 695 से बने हाल खसरा नंबर 1570, 1571, व 1565 की भूमि को मौका स्थिति के विपरित राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया, जबकि मौके पर ग्राम बीजापुर के हाल खसरा नंबर 1570 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 1571 रकवा 0.76 हैक्टर,एवं खसरा नंबर 1565 मेंसे रकबा 0.35 हैक्टर कुल रकबा 1.22 हैक्टर किस्म बारानी दोयम पर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त** चला आ रहा है। जिससे भू0 प्रवन्ध विभाग द्वारा मौका स्थिति के विपरित किये गये इन्द्राज को विलोपित करते हुये वादीगण के खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा नंबर 1559, 1560, 1561, 1562 कुल खसरा–04 कुल रकवा 1.22 हैक्टर को सिवायचक दर्ज करने तथा वदले में वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 1570 रकवा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 1571 रकवा 0.76 हैक्टर, खसरा नंबर 1565 मेंसे रकवा 0.35 हैक्टर कुल रकवा 1.22 हैक्टर किस्म वारानी दोयम की खातेदारी वादीगण के नाम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि में वतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत् 2034 से 2035, फोटो प्रति आवंटन/नियमन लिस्ट दिनांक 05.10.1977, प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रति खतौनी वन्दोवस्त संवत् 2037 से 2056, फोटो प्रति पर्चा नोटिस, चालू जमावंदी संवत् 2072 से 2075, चालू नक्शा, नजरी नक्शा, नया नक्शा, पुराना नक्शा, फोटो प्रति आई.डी प्रुफ पेश किये गये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार, बाली को सम्मन जारी किये जाने पर तहसीलदार, बाली द्वारा मौका स्थिति की जांच के पश्चात् दिनांक 10.01.2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो रिपोर्ट पैरा वाईज नही होने तथा वकील वादी पक्ष की आपत्ति होने से पुनः विस्तृत रिपोर्ट पैरावाई तलब की गई। न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली ने पुनः रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/ 2022 / 239 दिनांक 01.02.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट पेश कीः–

1. यह हैं कि ग्राम बीजापुर के जमावंदी चौसाला संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 815 के खसरा नंबर 1559 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नंबर 1560 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1561 रकबा 0.07 हैक्टर व खसरा नंबर 1562 रकबा 0.37 हैक्टर कुल रकबा 1.220 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड में श्री मनोहरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह हि. 1/2 व श्री मोतीसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह हि. 1/2 जातिगण राजपुत साकिन देह खातेदारी दर्ज है।
2. यह हैं कि ग्राम बीजापुर के विवादित खसरा नंबर 1570, 1571 व 1565 कुल खसरा–03 कुल रकबा 1.22 हैक्टर वर्तमान जमाबंदी के अनुसार राजकीय सिवाय चक भूमि हैं। जिस पर वादी के द्वारा तारबन्दी कर कब्जा काश्त की जा रही हैं।

पेज लगातार..02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2017 Gcms No. 2017/00026
अनवान मनोहरसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

3. यह है कि वादी के खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 1559 से 1565 व राजकीय सिवाय चक खसरा नंबर 1570,1571 व 1565 एक दूसरे के पास स्थित है एवं सटे हुए हैं।
4. यह है कि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खातेदार के खसरा नंबर 1559 से 1562 एवं सिवाय चक भूमि भूमि खसरा नंबर 1570, 1571 संपुर्ण एवं 1565 आंशिक गत् खसरा नंबर 695 एवं 695 मी. से बने हुए हैं। अर्थात उपरोक्त वर्णित समस्त वर्तमान खसरा गत् खसरा नंबर 695 से ही बने हैं।
5. यह है कि खसरा नंबर 1559 से 1562 जो कि वादी की खातेदारी भूमि दर्ज हैं। जिस पर पुरानी आबादी की बसावट हैं। अर्थात् खसरा नंबर 1559 से 1562 में पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई हैं। जिस पर वादीगण खातेदारो का कब्जा नहीं है।
6. यह है कि वादीगण ने बताया कि उनके नाम रेकर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1559 से 1562 रकबा 1.22 हैक्टर पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा हैं। तथा इस भूमि पर वर्षो से आबादी की बसावट है।

अपनी रिपोर्ट के साथ तहसीलदार, बाली ने पटवारी हल्का, बीजापुर द्वारा तैयार मौके का नजरी नक्शा भी पेश किया। जिस नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शित भू०भाग पर आबादी बसी हुई होना, तथा आसमानी रंग से दर्शित खसरा नंबर 1570, 1571 संपुर्ण एवं खसरा नंबर 1565 के आंशिक भाग पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त होना वर्णित किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जवाब/ रिपोर्ट स्वीकारोक्ति की होने तथा प्रकरण मात्र इन्द्राज दुरस्ती का ही होने से वकील वादीगण श्री गणपतलाल चौधरी ने प्रकरण में बहस करते हुये प्रकरण को निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील वादी पक्ष श्री गणपतलाल चौधरी ने वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि भू० प्रबन्ध विभाग द्वारा मौका स्थिति के विपरित इन्द्राज करते हुये वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम बीजापुर के हाल खसरा नंबर 1570, 1571 संपुर्ण एवं खसरा नंबर 1565 मेंसे रकवा 0.35 हैक्टर कुल रकबा 1.22 हैक्टर भूमि को राजकीय सिवाय चक दर्ज कर दिया एवं बीजापुर के हाल खसरा नंबर 1559 से 1562 कुल खसरा–04 कुल रकबा 1.22 हैक्टर में मौके वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होते हुये खातेदारी में इन्द्राज कर दिया है, जबकि इन खसरो की भूमि पर आबादी की बसावट है, जिस तथ्य को प्रतिवादी तहसीलदार, बाली ने भी स्वीकार किया है। विद्वान् वकील वादीपक्ष ने यह भी दलील दी कि दोनो ही वर्तमान खसरा नंबर की भूमियों यानि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी एवं राजकीय सिवाय चक दर्ज भूमियो के गत् खसरा नंबर 695 व 695 मी. रहे है। जिससे राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत भू०प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त कर मौका स्थिति के अनुसार रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबंदी में इन्द्राज किये जाने की दलील दी। प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा भी ग्राम बीजापुर के गत् खसरा नंबर 695 से ही वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 1559 से 1562 एवं राजकीय सिवायचक दर्ज खसरा नंबर 1570, 1571 व 1565 मिलान क्षैत्रफल एवं मौका स्थिति के अनुसार बनना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में मौका स्थिति के विपरित इन्द्राज होना स्वीकार किया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि भू०प्रबन्ध पश्चात् के रेकर्ड में वादीगण के खातेदारी में दर्ज ग्राम बीजापुर के हाल खसरा नंबरान् 1559 से 1562 कुल रकबा 1.22 हैक्टर एवं राजकीय सिवायचक दर्ज हाल खसरा नंबर 1570 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 1971 रकबा 0.76 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1565 मेंसे 0.35 हैक्टर कुल रकबा 1.22 हैक्टर दोनो ही भूमियों के हाल नंबर गत् खसरा नंबर 695 व 695 मी. से बने है। तथा दोनो भूमियो के अधिकार अभिलेखों में मौका स्थिति के विपरित इन्द्राज है, जो इन्द्राज त्रुटिपुर्ण है। तथा भू०प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान् किये गये है। सैटलमेंट के दौरान् की गई त्रुटियो को दुरस्त करने के लिये उपखण्ड अधिकारी अधिकृत है। उक्त त्रुटि को दुरस्त करने के लिये प्रतिवादी भी सहमति प्रदान करते है, तथा उक्त दुरस्ती से राजकीय भूमि का रकबा भी प्रभावित नहीं है। इसके साथ ही न्यायिक दृष्टि से राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति में समानता होनी चाहिये। जिससे वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में मौका स्थिति के विपरित दर्ज इन्द्राज को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत विलोपित करते हुये इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से मौका स्थिति के अनुसार निम्नानुसार इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

वादीगण के नाम दर्ज की जा रही खातेदारी भूमि				सिवायचक दर्ज की जा रही भूमि			
क्र0सं0	खसरा नंबर	रकबा	किस्म भूमि	क्रं. सं0	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
01	1570	0.11 हैक्टर	बारानी दोयम	01	1559	0.54 हैक्टर	बारानी दोयम
02	1571	0.76 हैक्टर	बारानी दोयम	02	1560	0.24 हैक्टर	बारानी दोयम
03	1565 मेंसे	0.35 हैक्टर	बारानी दोयम	03	1561	0.07 हैक्टर	बारानी दोयम
–	–	–	–	04	1562	0.37 हैक्टर	बारानी दोयम
कुल योग		1.22 हैक्टर	बारानी दोयम	कुल योग		1.22 हैक्टर	बारानी दोयम

पेज लगातार...........03

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2017 Gcms No. 2017/00026

अनवान मनोहरसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

राजकीय सिवायचक दर्ज खसरा नंबर 1565 का कुल रकबा 0.79 हैक्टर है, परन्तु उक्त आदेश से खसरा नंबर 1565 मेसे 0.35 हैक्टर ही वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। अतः राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के दौरान् तहसीलदार, बाली नये बटा नंबर/तरमीमी नंबर कायम करते हुये रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे मे तरमीम करना सुनिश्चित करे। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के साथ संलग्न मौके का नजरी नक्शा जो पटवारी हल्का, बीजापुर द्वारा तैयार किया गया है, निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये निर्णय/आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible])
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 28-3-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,** आई.ए.एस.

वादीगण :–

1. श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह
2. श्री मोतीसिंह पुत्र श्री मोहब्बतसिंह जातिगण राजपुत
   निवासीगण बीजापुर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 21/2017 Gcms No. 2017/00026
वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :– पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में मौका स्थिति के विपरित दर्ज इन्द्राज को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत विलोपित करते हुये इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से मौका स्थिति के अनुसार निम्नानुसार इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

वादीगण के नाम दर्ज की जा रही खातेदारी भूमि				सिवायचक दर्ज की जा रही भूमि			
क्र0सं0	खसरा नंबर	रकबा	किस्म भूमि	क्रं. सं0	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
01	1570	0.11 हैक्टर	बारानी दोयम	01	1559	0.54 हैक्टर	बारानी दोयम
02	1571	0.76 हैक्टर	बारानी दोयम	02	1560	0.24 हैक्टर	बारानी दोयम
03	1565 मेंसे	0.35 हैक्टर	बारानी दोयम	03	1561	0.07 हैक्टर	बारानी दोयम
–	–	–	–	04	1562	0.37 हैक्टर	बारानी दोयम
कुल योग		**1.22 हैक्टर**	**बारानी दोयम**	कुल योग		**1.22 हैक्टर**	**बारानी दोयम**

राजकीय सिवायचक दर्ज खसरा नंबर 1565 का कुल रकबा 0.79 हैक्टर है, परन्तु उक्त आदेश से खसरा नंबर 1565 मेंसे 0.35 हैक्टर ही वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। अतः राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के दौरान् तहसीलदार, बाली नये बटा नंबर/तरमीमी नंबर कायम करते हुये रेकर्ड में अमल दरामद के साथ नक्शे में तरमीम करना सुनिश्चित करे। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के साथ संलग्न मौके का नजरी नक्शा जो पटवारी हल्का, बीजापुर द्वारा तैयार किया गया है, निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये निर्णय/आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बीजापुर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23-3-20[illegible] को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना,)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner